न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –94/2016 जिला दौसा

1. मदन लाल
2. सीताराम
3. मुरारी लाल

पुत्रान कब्बू लाल जाति, संजोगी पुजारी निवासी ग्रम दौलतपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1 लल्लू
2. पुरूषोतम
3. गिर्राज
4. भागचंद

पुत्रान शंकर लाल , जाति संजोगी पुजारी, निवासी ग्रम दौलतपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

5. भागोती बेवा शंकर लाल , जाति संजोगी पुजारी, निवासी ग्रम दौलतपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
6. रामधन पुत्र केसर लाल , जाति महाजन , निवासी ग्रम दौलतपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
7. रघुनाथ
8. घोसल्या

पिसरान रामूराम चौधरी

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

9. भगवान सहाय पुत्र झाजूराम चौधरी
निवासियान ग्रम सरनाचौड, जिला जयपुर
10. तहसीलदार लालसोट, तहसील लालसोट, जिला दौसा

रेस्पोंडेन्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा दिनांक 7.9.2015 बाबत नामांतरकरण संख्या 156 दिनांक 5.10.2004

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री महावीर प्रसाद पारीक

निर्णय

दिनांक 5.6.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 7.9.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम कोकरिया, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 14/2 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा , खसरा नम्बर 62/2 रकबा 21 बीघा 11

बिस्वा , खसरा नम्बर 47 रकबा 27 बीघा 7 बिस्वा , कुल किता 3 कुल रकबा 52 बीघा 11 बिस्वा का खातेदार कब्बू पुत्र रामचन्द था , जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 156 ग्रम पंचायत दौलतपुरा द्वारा दिनांक 5.10.2004 को अपीलान्ट संख्या 1 से 3 मदन लाल, सीताराम, मुरारी लाल पि. कब्बू लाल जाति पुजारी हिस्सा 1/4 एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 लल्लू लाल, पुरूषोतम, गिर्राज, भागचन्द पि. शंकर लाल व मु. भागोती बेवा शंकर लाल जाति पुजारी हिस्सा 1/4 के नाम स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट मदन लाल वगैहरा द्वारा प्रथम अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, लालसोट, जिला दोसा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो उनके निर्णय दिनांक 16.4.2007 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 156 दिनांक 5.10.2004 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि मृतक कब्बू लाल के वारिसान की जॅाच की जावे तथा रेस्पोंडेन्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावे । वर्तमान रिकार्ड जमाबन्दी व नामांतरकरण में निरस्तीकरण का नोट अंकित करें । पक्षकारान दिनांक 15.5.07 को न्यायालय तहसीलदार लालसोट के समक्ष उपस्थित होवें ।

उप खण्ड अधिकारी लालसोट के उक्त निर्णय दिनांक 16.4.2007 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट लल्लू वगैहरा द्वारा अपील न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 30.4.2008 द्वारा पक्षकारों के मध्य दावे के विचाराधीन रहने से खारिज की गई ।

उप खड अधिकारी लालसोट के निर्णय दिनांक 16.4.2007 से प्रकरण तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड होने पर उसकी अनुपालना में तहसीलदार लालसोट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.9.2015 पारित कर पक्षकारान के मध्य उद्घोषणा का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) लालसोट के समक्ष विचाराधीन रहने के परिपेक्ष्य में ग्रम कोकरिया के नामांतरकरण संख्या 156 पर पारित आदेश दिनांक 5.10.2004 को यथावत रखने के आदेश के साथ ही विचाराधीन वाद के निर्णय उपरान्त निर्णयानुसार प्रविष्टियॅा दर्ज कराने के आदेश दिये गये , जिसके खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लालसोट दिनांक 7.9.15 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों का दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादि आराजी अपीलान्ट्स के पिता कब्बू लाल व रेस्पोंडेन्ट संख्या 6 रामधन पुत्र केसर लाल ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 29.8.68 क्रय की थी जिसके आधार पर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज रामधन पुत्र केसल लाल महाजन, कब्बू लाल पुत्र रामचन्द ब्राह्मण के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हो गया था । विवादित भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार कब्बू लाल पुत्र रामचन्द ब्राह्मण के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 156 पटवारी हल्का द्वारा मृतक के पुत्रों के नाम भरा गया जिसे ग्रम पंचायत दौलतपुरा ने स्थानीय राजनैतिक व्यक्तियों के प्रभाव में आकर अपीलान्ट के नाम हिस्सा 1/2 के अंकन के बजाय अपीलान्ट का हिस्सा 1/4 व मृतक कब्बू लाल के भाई शंकर लाल के वारिसान रेस्पोंडेन्ट 1 से 5 का हिस्सा 1/4 दिनांक 5.10.04 को स्वीकृत कर दिया जिसके खिलाफ अपीलान्ट की अपील उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने निर्णय दिनांक 16.4.2007 से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण निरस्त किया एवं पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया । उप खण्ड अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के

निर्णय दिनांक 30.4.2008 से खारिज की गई । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 ने विवादित भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.7.2008 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 से 9 को कर दिया जिसका अमल राजस्व रेकार्ड में जरिये नामांतरकरण संख्या 201 दिनांक 7.8.2008 हो चुका है जिसके खिलाफ भी अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष की हुई है जो जैरकार है । उनका कहना था कि मृतक खातेदार कब्बू लाल के विधिक एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलान्ट्स ही प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार है । कब्बू लाल की भूमि में शंकर लाल के वारिसान का किसी भी कानून के तहत कोई हक व अधिकार नहीं बनता , लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा शंकर लाल के वारिसान रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 के पक्ष में प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । उप खण्ड अधिकारी ने ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण को निरस्त कर दिया था , जिसे तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश से पुनः यथावत रखने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि विवादित भूमि कब्बू लाल की स्वअर्जित भूमि है जिस पर वर्तमान में अपीलान्ट्स काबिज काश्त है । रेस्पोंडेन्ट्स के यदि कब्बू लाल की भूमि में कोई अधिकार बनते हैं तो न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट के समक्ष विचाराधीन अधिघोषणा के वाद में ही उनके अधिकारों का निर्धारण होगा । तहसीलदार को वाद के विचाराधीन रहते प्रश्नगत नामांतरकरण को निरस्त कर उसकी कार्यवाही वाद के निर्णय तक स्थगित रखनी चाहिये थी, लेकिन अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण को यथावत रखा जाकर विचाराधीन वाद में न्यायालय सहायक कलक्टर के निर्णय उपरान्त निर्णय अनुसार प्रविष्टियॉ दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता शंकर लाल व कब्बू लाल ने क्रय की थी, लेकिन कब्बू लाल के नाम विक्रय पत्र करवाने से भूमि कब्बू लाल के नाम लग गई जबकि क्रय की गई भूमि पर कब्बू लाल व शंकर लाल दोनों ही काश्त करते रहे हैं । उनका कहना था कि ग्राम पंचायत में रेस्पोंडेन्ट्स ने दिनांक 26.9.94 को ग्राम पंचों द्वारा लिखा हुआ समझौता पत्र भी प्रस्तुत किया था जिसमें विवादित भूमि दोनों भाईयों की होना अंकित किया हुआ है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 5 ने विवादित भूमि में से अपने 1/4 हिस्से की भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 7, 8 व 9 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.7.2008 से विक्रय की जा चुकी है एवं विक्रय पत्र के आधार पर क्रेताओं के नाम नामांतरकरण भी तस्दीक हो चुका है । तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.9.15 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 156 दिनांक 5.10.04 को यथावत रखते हुये विचाराधीन वाद के निर्णय अनुसार प्रविष्टियॉ कराने के आदेश पारित किये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार कब्बू लाल की विरासत के नामांतरकरण का है । कब्बू लाल की विरासत का नामांतरकरण संख्या 156 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 5.10.04 को अपीलान्ट्स मदन लाल, सीताराम, मुरारी लाल पि. कब्बू लाल हिस्सा 1/4 एवं लल्लू लाल, पुरूषोतम, गिर्राज, भागचन्द पि. शंकर लाल व मु. भागोती बेवा शंकर लाल के नाम तस्दीक किया है , जिसके खिलाफ अपीलान्ट मदन लाल की अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने आदेश दिनांक 16.4.2007 द्वारा स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 156

दिनांक 5.10.04 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया है । उप खण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट लल्लू वगैहरा की अपील न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त जयपुर ने निर्णय दिनांक 30.4.2008 द्वारा सारहीन होने के कारण खारिज की है तथा निर्णय में यह भी अंकित किया है कि " पक्षकारान के मध्य विचाराधीन दावे के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी तहसीलदार के समक्ष यह अभिमत ले सकते हैं कि दावे के विचाराधीन रहते हुये नामांतरकरण की कार्यवाही स्थगित किया जावे "। उप खण्ड अधिकारी से प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड होने पर तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.9.15 पारित कर नामांतरकरण संख्या 156 दिनांक 5.10.04 को यथावत रखते हुये विचाराधीन वाद न्यायालय सहायक कलक्टर के निर्णय उपरान्त निर्णयानुसार प्रविष्ठियॉ दर्ज कराने के आदेश दिये हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि कब्बू लाल की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण को उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने निर्णय दिनांक 16.4.2007 द्वारा निरस्त कर तहसीलदार लालसोट को पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया था , लेकिन इसकी अनुपालना में तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.9.15 द्वारा पक्षकारान के मध्य न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) लालसोट के समक्ष उद्घोषणा के विचाराधीन वाद के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 156 पर पारित आदेश दिनांक 5.10.2004 को यथावत रखते हुये वाद के निर्णय उपरान्त निर्णयानुसार प्रविष्ठियॉ दर्ज कराने के आदेश दिये हैं । प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में विवाद का निस्तारण न्यायिक रूप से घोषणा के दावे एवं न्यायालय की डिक्री के माध्यम से हो सकता है । विधिक रूप से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण विचाराधीन वाद में ही होने की स्थिति में, विचाराधीन वाद के अंतिम निर्णय तक प्रश्नगत नामांतरकरण को निरस्त कर नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिये था , लेकिन तहसीलदार ने ऐसा नहीं कर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 156 पर पारित आदेश दिनांक 5.10.2004 को यथावत रखते हुये वाद के निर्णय उपरान्त निर्णयानुसार प्रविष्ठियॉ दर्ज कराने के आदेश दिये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक नहीं है । ऐसी स्थिति में हम अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लालसोट दिनांक 7.9.2015 को उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से बनाये रखना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लालसोट दिनांक 7.9.2015 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 156 दिनांक 5.10.2004 निरस्त किये किये जाकर पक्षकारों के मध्य न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) लालसोट के समक्ष उद्घोषणा के विचाराधीन वाद के अंतिम निर्णय तक नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही स्थगित किया जाना उचित समझते हैं । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लालसोट दिनांक 7.9.2015 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 156 दिनांक 5.10.2004 निरस्त किये जाते हैं तथा पक्षकारों के मध्य न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) लालसोट के समक्ष उद्घोषणा के विचाराधीन वाद के अंतिम निर्णय तक नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही स्थगित की जाती है । वाद के निर्णय उपरान्त वाद के निर्णयानुसार नामांतरकरण की कार्यवाही तहसीलदार लालसोट द्वारा की जावेगी ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 5.6.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. संभागीय आयुक्त जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर